न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेर (मु.) जयपुर

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम पान्नू

न्यायालय

संख्या 297/16 इजरा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
21/11/2022	पत्रावली आज दिनांक 21/11/2022 को पेश हुई। डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 25/11/2022 को पेश हो।	
25/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली जवाब/बहस आपत्ति कुरजात हेतु दिनांक 6/12/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
5/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष की आपत्ति कुरजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/1/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	वादि प्रति. [illegible]
4/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व. उभ. उप.। आपत्ति कुरजात खारिज की जाकर बाद बाडी मुताबिक कुरजात रिपोर्ट बाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 04/1/23	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 297 / 2016

वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.09.2016

सीताराम पुत्र स्व. श्री राधाकिशन शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––– वादी

बनाम

1. पांचूराम पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. मानूराम पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
3. मुरलीधर पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
4. हरिनारायण पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
5. छीतरमल पुत्र आंशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
6. गोविन्दराम पुत्र 'आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, 'जिला जयपुर
7. बद्रीनारायण पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
8. श्रीमती लाडा देवी पत्नी दुर्गालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
9. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मन्नालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम् सिरसी बिन्दायिका, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
10. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल (मृतक दौराने दावा)

    10/1 ललिता पत्नी ओमप्रकाश

    10/2 अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश

    10/3 अनिल शर्मा पुत्र ओमप्रकाश ओमप्रकाश

10/4 विजय शर्मा पुत्र 4 समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढ़ाणी, ग्राम देवगुड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

10/5 सुनिता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विजय कुमार नागवान, निवासी छोटी गोपी की गली, नवलगढ जिला झुन्झुनु ।

11. गोपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढाणी, ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

12. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल (मृतक दौराने दावा)

12/1 आन्नी देवी पत्नी मदनलाल शर्मा

12/2 रामवतार पुत्र मदनलाल शर्मा

राजकरण पुत्र मदनलाल शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढाणी, ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

12/4 सुशीला देवी पुत्री मदनलाल पत्नी बाबूलाल, निवासी पीली की तलाई नई माता के मन्दिर के सामने, दिल्ली बाईपास रोड़, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

13. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री राधाकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 60, भगत वाटिका, शिवपुरी कॉलोनी, के. एस. फोर्ड. कम्पनी के सामने वाली गली, सोडाला, जयपुर।

14. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर जिला जयपुर। श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर

16. उपपंजीयक आमेर, जिला जयपुर।

––––प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री चन्द्रप्रताप सिंह – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री सी.पी. बलाई – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8, 9 की ओर से
(3) श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल – अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 13 की ओर से
(4) श्री इन्द्र सिंह शेखावत – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12/2 से 12/4 की ओर से

दिनॉकः– 04.01.2023

निर्णय

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की कृषि काश्त खातेदारी की कब्जेशुदा भूमि जो कि ग्राम देवगुढा भू०अ०नि०क्षेत्र जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं जिस पर वादी अपने दर्ज रिकार्ड हिस्से 1 / 16 भाग की भूमि पर लगातार कृषि काश्त करते हुये अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है । यह कि उक्त ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर में बादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की उक्त वर्णित शामिलाती खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 216 जिसका पुराना खाता संख्या 103 आराजी खसरा नम्बरान 390 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 391 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 392 रकबा 3.17 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 393 रकबा 3.47 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 394 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 395 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 400 रकबा 1.68 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 402 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बरान 403 रकबा 1.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 422 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 423 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 11 का कुल रकबा 11.18 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जिसमें वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा सम्पुर्ण का 1 / 16 भाग निहित है। एवं शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात वाद पत्र के आगामी मदान में भूमि वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित की जावेगी। उक्त वर्णित आराजियात में वादी अपने खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है अतः विधिवत तकासमा की कार्यवाही की जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 14 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित किया गया है कि वाद पत्र का मद नंबर 1 वादी स्वयं साबित करे । वादग्रस्त आराजी मे उत्तरदाता भी 1 / 16 हिस्से का काबिज सहकृषक दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि वाद पत्र का मद नंबर 3 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है । उत्तरदाता भी 1 / 16 हिस्से पर मनवट के आधार पर किये गये बंटवारे मुताबिक काबिज काश्त है । यह कि वाद पत्र का मद नंबर 4 मे वर्णित तथ्य कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है स्वीकार है । यह कि वाद पत्र का मद नंबर 5 मनगढंत कपोल कल्पित तथ्यो पर तहरीर होने के कारण स्वीकार नही है। वर्णित वाकियात काल्पनिक होने के कारण स्वीकार नही हैं अपितु वर्णित वाकियात काल्पनिक वाद कारण को उत्पन्न करने के उद्देश्य से तहरीर किये गये है, काल्पनिक वाद कारण के आधार पर वाद पेश होने के कारण वाद वादी खारिज योग्य है। यह कि वाद पत्र का मद नंबर 15 मे वर्णित आराजी मे मिन उत्तरदाता के 1 / 16 हिस्से का

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

मनबट के आधार पर हुये बंटवारेनुसार मिन उत्तरदाता का खाता व लगान अलग किया जाकर वाद वादी तकासमे की हद तक डिकी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

न्याय आपके द्वार– 2018 अभियान के दौरान राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम देवगुढा में पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा प्रतिवादी संख्या 13 ने आपत्ति कुर्रेजात बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उभयपक्षकारान की बहस कुर्रेजात सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 13 व 8, 9 ने जाहिर किया की उन्हे किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव बनने की उन्हे जानकारी नहीं है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा विधिवत बहस सुनकर दिनांक 02.9.2020 को तहसीलदार आमेर को पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति व उन्हे नोटिस देकर बनाने हेतु आदेशित किया गया।

फलस्वरूप तहसीलदार आमेर द्वारा दुसरी बार कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये गये। प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 12/2, 12/3, 12/4 व 13 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश किया गया। आपत्ति बहस कुर्रेजात सुनी गई। आपत्तिया स्वीकार होने पर तहसीलदार आमेर को पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने को आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर से तृतीय बार दिनांक 23.09.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 12/2 से 12/4 व वादी ने आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश किया। उभयपक्षकारान की आपत्ति/कुर्रेजात बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 8, 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्शाये गये रास्ते एवं आबादी भूमि मे से रास्ते के फोटोग्राफ्स पेश किये। हमने आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र व मुख्य बहस का बगौर अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी संख्या 12/2 से 12/4 का मुख्य कथन रहा की अपनी भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 13 के अधिवक्ता ने कथन किया की तहसीलदार आमेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट रूल्स 18 से 21 नियमानुसार भिजवाये गये है। कुर्रेजात रिपोर्ट सभी पक्षकारान को तामील हेतु पूर्ण सुचना दी जाकर बनाई गई है तथा सभी पक्षकारान को मुताबिक जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार भूमि दी गई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 12/2 से 12/4 को भूमि में आने जाने का पूर्ण रास्ता है जिसकी फोटोग्राफ्स सलंग्न है। कुर्रेजात रिपोट बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बनाये गये है। वादी व प्रतिवादी 12/2 से 12/4 केवल वाद को अधिक समय तक लम्बित रखना चाहते है। पूर्व में दो बार कुर्रेजात रिपोर्ट आने के बाद तीसरी बार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हर बार आपत्तिकर्ता को आपत्ति रही है। इसलिए आपत्ति कुर्रेजात खारिज करते हुये वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद डिकी किया जावे।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी व प्रतिवादी संख्या 12/2 लगायत 12/4 द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत एतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हो। पूर्व में दो बार कुर्रेजात प्रस्ताव आ चुके है। वादी व प्रतिवादी संख्या 12/2 लगायत 12/4 केवल वाद का अधिक समय तक लम्बित रखने का उद्देश्य रखते है, ऐसी सुरत में वादी व प्रतिवादी संख्या 12/2 लगायत 12/4 की आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. सीताराम पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/3 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/3 रकबा 0.6363 हैक्टेयर, खसरा नंबर 395 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6913 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रहलाद पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, ,खसरा नंबर 393/2 रकबा 0.6212 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6912 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. बद्रीनारायण पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, गोविन्दराम पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, छीतरमल पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, मानूराम पुत्र आशाराम हि. 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, पांचूराम पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, मुरली धर पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, हरिनारायण पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जाहोता सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/1 रकबा 1.9350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/1 रकबा 2.2125 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.1475 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. लाडा देवी पत्नी दुर्गालाल हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) मन्नू देवी पत्नी मन्नालाल हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. सिरसी तह. जयपुर खातेदार

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

391/1 रकबा 0.1550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 391/3 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/4 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 400/2 रकबा 0.5050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 403/2 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 422 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 423 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.7650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. ललिता देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 3/10 जाति ब्राह्मण सा. देह राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, अशोक पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, अनिल पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, विजय पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड जालसू, सुनिता पुत्री ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा जालसू, गोपाल पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/4 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा जालसू, रामवातार पुत्र मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण, राजकरण पुत्र मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण, सुशिता पुत्री मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 400/1 रकबा 1.1750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 402 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 403/1 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.7650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. सामलात में खसरा नंबर 390 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 391/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1200 भूमि रहेगी।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 297 / 2016

वाद प्रस्तुति दिनाक : 27.09.2016

सीताराम पुत्र स्व. श्री राधाकिशन शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---- वादी

बनाम

1. पांचूराम पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. नानूराम पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
3. मुरलीधर पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
4. हरिनारायण पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
5. छीतरमल पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
6. गोविन्दराम पुत्र 'आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
7. बद्रीनारायण पुत्र आशाराम, जाति कुमावत, निवासी काल्यावाली ढाणी, देवगुढ़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
8. श्रीमती लाडा देवी पत्नी दुर्गालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
9. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मन्नालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम् सिरसी बिन्दायिका, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
10. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल (मृतक दौराने दावा)

10 / 1 ललिता पत्नी ओमप्रकाश

10 / 2 अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश

10/3 अनिल शर्मा पुत्र ओमप्रकाश ओमप्रकाश

10/4 विजय शर्मा पुत्र 4 समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढाणी, ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

10/5 सुनिता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विजय कुमार नागवान, निवासी छोटी गोपी की गली, नवलगढ जिला झुन्झुनु ।

11. गोपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढाणी, ग्रान देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

12. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल (मृतक दौराने दावा)

12/1 आन्नी देवी पत्नी मदनलाल शर्मा

12/2 रामवतार पुत्र मदनलाल शर्मा

राजकरण पुत्र मदनलाल शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों की ढाणी, ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

12/4 सुशीला देवी पुत्री मदनलाल पत्नी बाबूलाल, निवासी पीली की तलाई नई माता के मन्दिर के सामने, दिल्ली बाईपास रोड, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

13. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री राधाकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल प्लाट नम्बर 60, भगत वाटिका, शिवपुरी कॉलोनी, के. एस. फोर्ड. कम्पनी के सामने वाली गली, सोडाला, जयपुर।

14. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवगुढा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर जिला जयपुर। श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर।

16. उपपंजीयक आमेर, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -- 1955</u>

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

सहायक कलेक्टर
आमेर (ज.) जयपुर

1. सीताराम पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/3 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/3 रकबा 0.6363 हैक्टेयर, खसरा नंबर 395 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6913 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. प्रहलाद पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, .खसरा नंबर 393/2 रकबा 0.6212 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6912 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. बद्रीनारायण पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाख जालसू, गोविन्दराम पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, छीतरमल पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, [illegible] पुत्र आशाराम हि. 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, पांचुराम पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, [illegible] पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा, हरिनारायण पुत्र आशाराम हि. 1/7 जाति कुम्हार (प्रजापति) राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जाहोता सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 392/1 रकबा 1.9350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/1 रकबा 2.2125 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.1475 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. लाडा देवी पत्नी दुर्गालाल हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) मन्जू देवी पत्नी मन्नालाल हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. सिरसी तह. जयपुर खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ रेनवाल के हिस्से खसरा नंबर 391/1 रकबा 0.1550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 391/3 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/4 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 400/2 रकबा 0.5050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 403/2 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 422 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 423 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.7650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. ललिता देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 3/10 जाति ब्राह्मण सा. देह राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, अशोक पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, [illegible] ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा जालसू, विजय पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड जालसू, सुनिता पुत्री ओमप्रकाश हि. 1/20 जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा जालसू, गोपाल पुत्र कन्हैयालाल हि. [illegible] जाति ब्राह्मण राहिन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा जालसू, रामअवतार [illegible]

मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण, राजकरण पुत्र मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण, सुशिता पुत्री मदनलाल हि. 1/12 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 400/1 रकबा 1.1750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 402 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 403/1 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.7650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. सामलात में खसरा नंबर 390 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 391/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1200 भूमि रहेगी।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसाख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.01.2023 को जारी किया।

दस्तखत------
ओहदा-----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर	4 रूपये		फीस कमिश्नर	4 रूपये	
बवत इजराय हुक्मानामा			बवत इजराय हुक्मानामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रित		
मीजान			मीजान		